प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार शर्मा
पुत्र श्री लक्ष्मी नरायन शर्मा,
निवासी-319, चमरौली मोड़,
आगरा।

पत्रांक : 505/बीएफटी/07/13-14 दिनांक: 28/3/14

विषय:खसरा सं0 461मि0, मौजा-बसई मुस्तकिल, आगरा पर समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत खसरे की भूमि पर आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय समूह मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 25.03.2014 द्वारा निम्न शर्तें/प्रतिबंध के अधीन औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है-

(1) भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति प्रमाणपत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं पक्ष द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(3) प्रस्तावित मानचित्र में बेसमेन्ट होने के कारण भू-स्वामी द्वारा जब तक जिलाधिकारी कार्यालय से मिट्टी खनन अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक बेसमेन्ट की खुदाई प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(4) मानचित्र निर्गत व मौके पर निर्माण जल संस्थान की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

(5) आवेदक को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।

(6) निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद् की देखरेख में कराना होगा ताकि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।

(7) पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यासन की अनुमति अनुमन्य होगी।

(8) स्ट्रक्चरल डिजायन व ड्राइंग, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की गयी है, का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(9) क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु गठित 'समिति' द्वारा दी गयी संस्तुतियों (recommendations) का पालन करना होगा।

(10) शासन व्दारा अर्जन मुक्त की गई भूमि पर पुनर्विचार करते हुये, अर्जन मुक्त हेतु जारी शासनादेश सं0 123/9–आ–3–98 दिनांक 14.05.1998 को यदि निरस्त किया जाता है तो आवेदक को मान्य होगा तथा उक्त भूमि पर स्वीकृत किया गया मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(11) मानचित्र से सम्बन्धित सभी शुल्क एकमुश्त जमा करने होंगे।

(12) मानचित्र के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा है तो मानचित्र मा0न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। अगर न्यायालय से कोई विपरीत आदेश पारित हो जाता है तो यह मानचित्र भी निरस्त समझा जायेगा।

अतः बाह्य विकास मद में आरोपित धनराशि रू0 25,37,063.00, आमेलन/सब–डिवीजन शुल्क रू0 15,92,042.00, निरीक्षण शुल्क रू0 2,09 396.00 क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क रू0 90,92,772.00 ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी भवनों हेतु शेल्टर फीस रू0 21,06,000.00 तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना हेतु धरोहर राशि रू0 3,00,000.00 प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराकर, सात दिन के अन्दर उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा उक्त निर्धारित अवधि तक वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा नहीं की जाती है एवं उक्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो स्वीकृत किया गया उक्त मानचित्र निरस्त समझा जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

सहायक अभियंता(भवन)

NOC

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक : 505/बी0एफ0टी0/07/13-14 दिनांक : ..../07/2013

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जल संस्थान,
आगरा।

विषय : खसरा संख्या 461 मौजा बसई मुस्तकिल, आगरा पर प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनरायन शर्मा, निवासी-319 चमरौली मोड़, आगरा द्वारा ग्रुप हाउस मानचित्र स्वीकृति हेतु आगरा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। इस मानचित्र की दो प्रतियाँ इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र एक सप्ताह में भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक अभियन्ता (भवन)

प्रतिलिपि : श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनरायन शर्मा, निवासी-319 चमरौली मोड़, आगरा को सूचनार्थ।

सहायक अभियन्ता (भवन)